

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/ईपीओ-07/21398/2023/468

दिनांक: 17.11.2023

—:आदेश:—

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों को स्वैयं के आवेदन पर उनके नाम के सम्मुख अकिंत कोर्स/परीक्षा में सम्मिलित होने एवं चयनोपरान्त कोर्स करने की अनुमति कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के परिपत्र प.9(5)(30) कार्मिक /क-3/जॉच /2000/जयपुर दिनांक 18.11.2006 क अनुसरण में द्वितीय वर्ष हेतु प्रदान की जाती है

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा/साक्षात्कार का नाम जिसमें सम्मिलित होने की अनुमति चाही है।
1	श्री चन्द्र प्रकाश मीणा नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कोटा	मानवाचल विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश से पी0एच0डी0इन नर्सिंग कोर्स
2	श्रीमती सुनीता ठाकुर नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कोटा	मानवाचल विश्वविद्यालय इन्दौर मध्यप्रदेश से पी0एच0डी0इन नर्सिंग कोर्स

उक्त कार्मिक को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन परीक्षा/कोर्स हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
- 2 राज सेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित /स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
1. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।
2. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालु रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारीयो/कर्मचारीयो को किसी स्थान विशेष पद पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, और उनका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी।
6. अध्ययन वर्ष में अधिकारी /कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम हाने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
7. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

नोट:- संविदा कर्मियों के मामले में उक्त आदेश/स्वीकृति लागू नहीं होगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 17-11-2023

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/ईपीओ-07/21398/2023/468

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
2. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
3. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय संघ।
4. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref
4991716

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर
Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval